

राज्यपाल सचिवालय, उत्तर प्रदेश,
लखनऊ-227132

संख्या-इ.स. 1174 / जी.एस.
दिनांक 17/08/2008

प्रेषक,
श्री राज्यपाल/कुलाधिपति के अनु सचिव
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,
कुलसाधिव,
उत्तमपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय,
कानपुर।

महोदय,
आपके पत्रांक: सी०एस०जे०एम०वि०वि०/साय०/486/2008 दिनांक 12-08-2008 के अन्दर में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि महाभाहम कुलाधिपति महोदय ने उ०प्र० राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम-1973 की धारा-30 (2) के अधीन डा० वीरेन्द्र स्वरूप इस्टीमेट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज साकेत नगर, कानपुर को स्नातक स्तर पर शिक्षा संकाय के अन्तर्गत वी०एड० पाठ्यक्रम में 100 सीट की प्रवेश अ के साथ स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन दिनांक 09-08-2008 से संस्था की स्वीकृति सहर्ष प्रदान कर दी है:-

- 1- संस्था उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या-2009/सत्तर-2-2008-16 (62)/2008 दिनांक 2 जुलाई 2008 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों एवं समय-समय पर इस विषय में निर्गत शासनादेशों का पालन करेगी।
- 2- संस्था राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित समस्त मानकों की पूर्ण तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित करेगी एवं परिषद द्वारा निर्धारित समस्त शर्तों का अनुपालन करेगी।
- 3- यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिणियमावली/अध्यदेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता एवं उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उ०प्र० राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम-1973 के सुतमत प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिये जाने की भागवाही नियमानुसार की जायेगी।

भवदीय,

(विजय कुमार सिंह)
कुलाधिपति के अनु सचिव

प्रतिरिपि निम्नांकित को सूचनाएं एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
- 2- निदेशक, उच्च शिक्षा विभाग, उच्च शिक्षा निदेशालय, इलाहाबाद।
- 3- क्षेत्रीय निदेशक, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, उत्तर क्षेत्रीय समिति, 85-ए तिलकनगर, लखनऊ।
- 4- प्रबन्धक/प्राचार्य, डा० वीरेन्द्र स्वरूप इस्टीमेट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज साकेत नगर, कानपुर।

(विजय कुमार सिंह)
कुलाधिपति के अनु सचिव

प्रतिलिपि पत्र संख्या-ई.सं.1174/जी0एस0 दिनांक 17.08.2006 द्वारा महामहिम कुलाधिपति जी के अनु सचिव, राज्यपाल सचिवालय, राजभवन, लखनऊ सम्बोधित कुलसचिव, छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर ।

आपके पत्रांक सी0एस0जे0एम0यू0/सम्ब./549/2005 दिनांक 12.06.2006 के संदर्भ में मुझे आपसे यह कहने का निर्देश हुआ है कि महामहिम कुलाधिपति महोदय ने उ0प्र0राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा-37(2) के अधीन डा0 वीरिन्द्र स्वरूप इस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज, साकेत नगर, कानपुर को स्नातक स्तर पर शिक्षा संकाय के अंतर्गत बी0एड0 पाठ्यक्रम में 100 सीट की प्रवेश क्षमता सहित स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन दिनांक 01.7.2006 से सम्बद्धता की स्वीकृति सहर्ष प्रदान कर दी है:-

1. संस्था उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या-2851/सत्तर-2-2003-16(92)/2002, दिनांक 2 जुलाई 2003 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों एवं समय-समय पर इस विषय में निर्गत शासनादेशों का पालन करेगी ;
2. संस्था राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित मानकों को पूर्ण तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित करेगी एवं परिषद द्वारा निर्धारित समस्त शर्तों का अनुपालन करेगी ।
3. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता एवं उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के सुसंगत प्रावधानों के अंतर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी ।

छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर

सी0एस0जे0एम0वि0वि0/सम्ब0/ 1136 /2006

दिनांक 22/8/06

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यावाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रबन्धक, डा0 वीरिन्द्र स्वरूप इस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज, साकेत नगर, कानपुर को इस आशय से प्रेषित है कि महामहिम कुलाधिपति महोदय के उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करें ।
2. उप कुलसचिव(बी0एड0 प्रवेश परीक्षा) सी0एस0जे0एम0विश्वविद्यालय, कानपुर
3. सिस्टम मैनेजर, सी0एस0जे0एम0विश्वविद्यालय, कानपुर ।
4. इंचार्ज, ई0डी0पी0सेन्टर, सी0एस0जे0एम0विश्वविद्यालय, कानपुर ।

(महेश चन्द्र)
कुलसचिव